श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून, में शैक्षिक सत्र 2017–18 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा आयोजित केन्द्रीयकृत काउन्सलिंग द्वारा आवंटित छात्रों/अभिभावकों के प्रत्यावेदन दिनांक 07.09.2017, पर रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय की अधिशासी समिति द्वारा लिया गया निर्णय दिनांक 12.09.2017

रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय की अधिशासी समिति की आपातकालीन बैठक दिनांक 12.09.2017 को आयोजित की गई जिसमें केन्द्रीयकृत नीट काउन्सलिंग के माध्यम से शासन द्वारा आवंटित एवं विद्यालय द्वारा अनंतिम रूप से प्रवेश दिए गए छात्रों एवं उनके अभिभावकों द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक 07.09.2017 पर विचार किया गया। श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज की प्रवेश समिति की अध्यक्षा द्वारा निम्न तथ्य प्रमाण सहित प्रस्तुत किए गए।

1. यह कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा सूचना दी गई थी कि विश्वविद्यालय की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु प्रस्ताव दिया गया है जिसके अनुरूप सरकारी कोटा के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क के रूप में 13 लाख 50 हजार रू0 एवं प्रबन्धन कोटे के विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क के रूप में रू0 18 लाख लिया जाना है। यह प्रस्ताव अधिशासी समिति की नियमित बैठक हेतु रखा गया है तथा उससे पारित होने के पश्चात लागू होगा।
2. यह कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 3642/चि0शि0/03(मेडिकल)/143/2013 दिनांक 31.08.2017 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का शुल्क सरकारी कोटे के लिए रू0 4 लाख प्रतिछात्र एवं प्रबन्धन कोटे के लिए रू0 5 लाख प्रतिवर्ष लेने का निर्देश दिया गया है, जो विद्यालय संचालन हेतु अपर्याप्त है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा विद्यालय से उपरोक्त वर्णित शुल्क लेने का आदेश विद्यालय के किसी लेखा सम्बन्धी आलेख/अभिलेख के निरक्षण के बिना किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित शुल्क केवल अनंतिम रूप से किया गया होगा न कि अन्तिम रूप से। यह भी स्पष्ट है कि भविष्य में शुल्क में परिवर्तन होना अवश्यंभावी है।
3. यह कि विद्यालय द्वारा छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रवेश लेने का निर्णय इस दशा के साथ लिया गया कि छात्रों को वस्तुस्थिति से परिचित करवा दिया जाए। ताकि भविष्य में यदि शुल्क बढता है तो वे उस शुल्क को वहन करने के लिए तैयार रहें।
4. उपरोक्त के कियान्वन हेतु दिनांक 02 सितम्बर 2017 को अमर उजाला में सर्वसाधारण के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके बिन्दु सं0 8 में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सभी

लोग विद्यालय की वैबसाइट www.subhartimcddn.com में प्रवेश हेतु निर्धारित दशाओं को अवश्य पढ़ लें।

5. यह कि विद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध सूचना जिसका शीर्षक "Shridev Suman Subharti Medical College, Dehradun, Uttarakhand FEE STRUCTURE AND OTHER IMPORTANT TERMS AND CONDITIONS FOR ADMISSION IN ACADEMIC SESSION 2017-18 IN M.B.B.S. COURSE" है, की धारा 5(viii) के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से अंकित है:

"The student and his/her guardian will have to give an Undertaking/Affidavit that the decision of the Hon'ble Court/Appropriate legal forum regarding the final fee will be binding upon them and they will pay the difference of the fee, if any, immediately on demand by the College. The Undertaking/Affidavit will have to be registered at the office of the Sub- Registrar by paying the requisite fee by the student."

6. यह कि काउन्सलिंग के पूर्व सभी छात्रों को काउन्टर से समस्त जानकारीयाँ दी गई थीं और एक रिपोर्टिंग मेमो पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे।
7. यह कि रिपोर्टिंग मेमो के साथ लगे संलग्नक 1 की धारा 5 (viii) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि छात्रों एवं उनके अभिभावकों को पंजीकृत शपथ पत्र देना होगा कि यदि मा0 न्यायालय/अधिकृत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा शुल्क में वृद्धि कर दी जाती है तो वह उन्हें देय होगी। अतः यदि किसी ने विद्यालय की वैबसाइट न देखी हो तो भी उसे वैबसाइट पर उपलब्ध सूचना लिखित रूप में दे दी गई थी।
8. यह कि रिपोर्टिंग मेमो के संलग्नक 2 के रूप में अनुबन्ध की प्रति संलग्न की गई थी।
9. यह कि अनुबन्ध में धारा 12 को इस कारण जोडा गया है क्योंकि प्रवेश के समय अनेकों अभिभावकों ने विद्यालय प्रतिनिधियों के समक्ष यह कहा कि यदि विद्यालय किसी भी कारण से शुल्क बढ़ाता है तो वे अपने छात्रों का प्रवेश निरस्त करा लेंगे। यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम के मध्य अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो उस सीट पर कोई अन्य प्रवेश नहीं हो सकता तथा इस कारण विद्यालय को अपूर्ण क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी।
10. यह कि छात्रों को जो अनंतिम प्रवेश पत्र जारी किए गए थे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि छात्रों को उस अवधि में जैसा कि रिपोर्टिंग मेमों में लिखा है, यानि 05.09.2017 की सांय 04:00 बजे तक, पंजीकृत अनुबन्ध देना होगा। यह दृष्टिगत रखते हुए कि दिनांक 05.09.2017 की काउन्सलिंग प्रकिया सांय 04:00 बजे के बाद तक चली विद्यालय प्रबन्धन द्वारा इस अवधि को तीन दिन बढा दिया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं पर गहन एवं वृहत चर्चा हुई। चर्चा के समय कुलसचिव द्वारा निम्न तथ्य भी अधिशासी समिति के समक्ष रखे गए:

i. यह कि रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण का अधिकार प्राप्त है तथा उस पर उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 (संशोधन) अधिनियम, 2010 लागू नहीं

होता। फिर भी विश्वविद्यालय की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क के अधिशासी समिति से पारित होने के बाद उत्तराखण्ड शासन को भेज दिया जाएगा ताकि शासन इस बात से सन्तुष्ट हो सके कि विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी 'शिक्षा के व्यवसायिककरण' अथवा 'लाभार्जन' के उद्देश्य से शुल्क निर्धारित किया गया है।

ii. यह कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत गठित उप समिति द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क निर्धारित करते समय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नारायण स्वामी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया एवं शुल्क निर्धारित नहीं की गई।

दिनांक 16.08.2017 को प्रातः 10 बजे उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत गठित उप समिति की बैठक निदेशक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में निजी नर्सिंग संस्थाओं में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर अन्तिम विचार–विमर्श किये जाने हेतु बैठक आहूत की गयी जिसमें रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित नारायण स्वामी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया :–

''सम्बन्धित संस्थान द्वारा शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया किन्तु वर्तमान में संस्थान स्वयं में विश्वविद्यालय होने के कारण एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के वाद लम्बित है। उक्त संस्थान का शुल्क निर्धारण भी तभी सम्भव हो पायेगा जब मा0 न्यायालय से निर्णय आ जायेगा।''

iii. यह कि यदि शासन द्वारा रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यायोचित शुल्क को स्वीकार नहीं किया तो शासन के आदेश को मा0 न्यायालय/उचित न्यायायिक प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी जाएगी तथा जो भी मा0 न्यायालय/उचित न्यायायिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसे छात्रों एवं उनके अभिभावकों को मानना होगा तथा यह तभी संभव है जब उनके साथ विद्यालय द्वारा पंजीकृत अनुबन्ध हो।

सभी तर्कों एवं तथ्यों के विश्लेषण एवं प्रस्तुत अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त अधिशासी समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि छात्रों/अभिभावकों को पंजीकृत अनुबन्ध करने की दशा की जानकारी पहले से थी तथा उसे जानते हुए भी उन्होंने प्रवेश लिया। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्यावेदन में धारा 12 के जोड़ने पर आपत्ति करना छात्रों/अभिभावकों की संदिग्ध नीयत का परिचायक है। अतः प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है और छात्रों को पंजीकृत अनुबन्ध जमा करने हेतु 10 दिन का समय दिया जाता है तथा यदि वे दिनांक 23.09.2017 तक पंजीकृत अनुबन्ध जमा नहीं कराते हैं तो उनके प्रवेश निरस्त कर शासन से उसके स्थान पर अन्य छात्रों को प्रवेश देने की मांग की जाए।

उपरोक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया

कुलसचिव
रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय